राष्ट्रीय लोक अदालत दिनाक- 22-4-2018

संख्या- 4/18/164/सात-न्याय-7-2018-23/2013टी0सी0

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव सचिव उ0प्र0 शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

3- महानिदेशक, रजिस्टेशन /आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद / आयुक्त, चकबन्दी / महानिदेशक, अभियोजन /सचिव, विधिक सेवा समिति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/ इन्स्पेक्टर जनरल पी0जी0/ निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ /वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, एल0ए0/महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद/आयुक्त, आवास विकास परिषद/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/महाप्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0 एल0 / डी0आर0एम0 रेलवे/आयुक्त, मनोरंजन कर / व्यापार कर अभिकरण/ निदेशक, पेंशन/महाप्रबन्धक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, उ0प्र0 ।

न्याय अनुभाग-7 (क0नि0) **लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2018**

विषय - प्रदेश स्तर पर दिनांक 22-4-2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-03/18/115/सात-न्याय-7-2018- 23/2013 टी0सी0 दिनांक 15 मार्च, 2018 जिसके द्वारा प्रदेश स्तर पर दिनांक-14-4-2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, न्यायाधीश उच्चतम् न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 14-4-2018 के स्थान पर अब **दिनांक 22-4-2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।** अत: दिनॉक 22-4-2018 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु ब्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अपने विभाग से सम्बन्धित अधिकाधिक वादों का चिन्हाकन कराकर उक्त वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्वित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि , निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - वरिष्ठ रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ।

2- सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 817/एसएलएसए-05/2018-एन0एल0ए0 सरन दिनांक 02-4-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3- रजिस्ट्रार एवं सचिव विधिक सेवा समिति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ।

4 - निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव/अपर विधि परामर्शी।